फर्द अहकाम

यालय

राजेश बनाम बिरदू धानका

मा संख्या /वर्ष 82/2024 : 2024/42/20

क्र.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	17/3/24	पत्रावली पेश की वकील प्रार्थी/वादी उप० तहसीलदार सांगानेर से तरमीमात रिपोर्ट प्राप्त शामिल मिसिल है बहस मुतालबा रिपोर्ट सुनी गई वादी का वाद मुताबिक तरमीमात रिपोर्ट अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है लिखित निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली बाद [illegible] [illegible] से [illegible] चौबन्द [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 22 / 2024
निर्णय दिनांक : 17.05.2024

1. राजेश कुमार मीना पुत्र नेपाल मीना, जाति मीना, निवासी शिव सागर कॉलोनी, बी.आई.टी. कॉलेज, ग्राम मेंदला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बिट्टू धानका पुत्री मुकेश धानका, उम्र 16 वर्ष, जाति धानका, नाबालिग जरिए वादार्थ संरक्षक माता श्रीमति मीरा देवी पत्नी मुकेश धानका, जाति धानका, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र छोटूराम, जाति धानका, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भू.अभि.नि.क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 910 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 911 क्षेत्रफल 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 987 क्षेत्रफल 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नबर 988 क्षेत्रफल 0.5700 हैक्टेयर व खसरा नंबर 989 क्षेत्रफल 0.1700 हैक्टेयर, कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 2.2000 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज						
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	**खसरा नम्बर**	रकबा	किस्म	लगान
1	128	राजेश कुमार पुत्र नेपाल मीना हि. 695 / 756 जाति मीना निवासी शिव सागर कॉलोनी, बी.आई.टी. कॉलेज ग्राम मेण्डला सिस्यावास, जयपुर खातेदार, नाबालिक बिट्टू पुत्री मुकेश संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि. 1 / 108 जाति धानका सा. देह खातेदार, हनुमान पुत्र छोटूराम हि. 1 / 14 जाति धानका सा.देह खातेदार	910 911 987 988 989	0.0500 0.7800 0.6300 0.5700 0.1700	बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1	
		कुल किता	05	2.200	16.520	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (...)

क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज				
		प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1	राजेश कुमार पुत्र नेपाल मीना हि. पूर्ण जाति मीना निवासी शिव सागर कॉलोनी, बी.आई.टी. कॉलेज ग्राम मेण्डला सिरस्यावास, जयपुर खातेदार	910 911/मि 987 988 989	0.0500 0.6025 0.6300 0.5700 0.1700		
		कुल किता	05	2.0225		
2.	बारानी1	नाबालिक बिट्टू पुत्री मुकेश संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि. पूर्ण जाति धानका सा.देह खातेदार	911/मि	0.0204		
		कुल किता	1	0.0204		
3.	बारानी1	हनुमान पुत्र छोटूराम हि. पूर्ण जाति धानका सा.देह खातेदार	911/मि	0.1571		
		कुल किता	1	0.1571		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.05.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ......
ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सा...)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 22/2024
निर्णय दिनांक : 17.05.2024

1. राजेश कुमार मीना पुत्र नेपाल मीना, जाति मीना, निवासी शिव सागर कॉलोनी, वी.आई.टी. कॉलेज, ग्राम मेंदला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बिट्टू धानका पुत्री मुकेश धानका, उम्र 16 वर्ष, जाति धानका, नाबालिग जरिए वादार्थ संरक्षक माता श्रीमति मीरा देवी पत्नी मुकेश धानका, जाति धानका, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र छोटूराम, जाति धानका, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी, तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

वादी ने वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 27.03.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भू.अभि.नि.क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 910 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 911 क्षेत्रफल 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 987 क्षेत्रफल 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 988 क्षेत्रफल 0.5700 हैक्टेयर व खसरा नंबर 989 क्षेत्रफल 0.1700 हैक्टेयर, कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 2.2000 हैक्टेयर का तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण की उपस्थिति में भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं कब्जानुसार तकासमा किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम किया जावे तथा खाता अलग से कायम किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को दिनांक 01.05.2024 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमाक भु0अ0/कुर्रेजात/2024/3477 दिनॉक 14.05.2024 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का

अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वादी का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना, भू.अभि.नि.क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 910 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 911 क्षेत्रफल 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 987 क्षेत्रफल 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 988 क्षेत्रफल 0.5700 हैक्टेयर व खसरा नंबर 989 क्षेत्रफल 0.1700 हैक्टेयर, कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 2.2000 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज						
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	128	राजेश कुमार पुत्र नेपाल मीना हि. 695/756 जाति मीना निवासी शिव सागर कॉलोनी, बी.आई.टी. कॉलेज ग्राम मेण्डला सिस्यावास, जयपुर खातेदार, नाबालिक बिट्टू पुत्री मुकेश संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि. 1/108 जाति धानका सा.देह खातेदार, हनुमान पुत्र छोटूराम हि. 1/14 जाति धानका सा.देह खातेदार	910 911 987 988 989	0.0500 0.7800 0.6300 0.5700 0.1700	बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1	
		कुल किता	05	2.200	16.520	

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज						
क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1 बारानी1	राजेश कुमार पुत्र नेपाल मीना हि. पूर्ण जाति मीना निवासी शिव सागर कॉलोनी, बी.आई.टी. कॉलेज ग्राम मेण्डला सिस्यावास, जयपुर खातेदार	910 911/मि 987 988 989	0.0500 0.6025 0.6300 0.5700 0.1700		
		कुल किता	05	2.0225		
2.	बारानी1	नाबालिक बिट्टू पुत्री मुकेश संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि. पूर्ण जाति धानका सा.देह खातेदार	911/मि	0.0204		
		कुल किता	1	0.0204		
3.	बारानी1	हनुमान पुत्र छोटूराम हि. पूर्ण जाति धानका सा.देह खातेदार	911/मि	0.1571		
		कुल किता	1	0.1571		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर